न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2011

अपीलांट
नरसिंगाराम पुत्र कनीराम
जाति भील निवासी सर का
पार (बान्दरा) तहसील व जिला
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. टेलाराम पुत्र मालाराम
3. सालूराम पुत्र मालाराम
4. देरामाराम पुत्र कनीराम
5. भगवानाराम पुत्र कनीराम
6. रिड़मलराम पुत्र कनीराम
7. गेनाराम पुत्र पदमाराम के कायम, मुकाम–
   7/1 राणाराम पुत्र गेनाराम
   7/2 इन्द्राराम पुत्र गेनाराम
   7/3 उदाराम पुत्र गेनाराम
8. पोकरराम पुत्र पदमाराम
9. कलाराम पुत्र पदमाराम
10. फूलीदेवी पत्नी कनीराम
    जाति भील निवासी सर का पार
    (बान्दरा) तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 17.5.2010 द्वारा तहसीलदार बाड़मेर

उपस्थित–
1. श्री अमित धनदे एडवोकेट अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी एडवोकेट रेस्पोडेंन्टस की ओर से उपस्थित।
3. अपीलांट एवं रेस्पाडेंन्टस संख्या 02, 4,5, 6 व 7/1 से 7/3 उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 17.6.2016**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 643, 644, 715, 900/716, 901/716 रकबा क्रमशः 07 विस्वा, 64 बीघा 05 विस्वा, 04 विस्वा, 78 बीघा व 1 बीघा 05 विस्वा कुल रकबा 144 बीघा 13 बिस्वा मौजा सर का पार पटवार मण्डल बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर में आई हुई

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

है। रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 10 ने हल्का पटवारी से मिल कर अपीलांट के हस्ताक्षर आवेदन पत्र व नक्शे पर धोखे से करवा कर दिनांक 17.5.2010 को तहसीलदार बाड़मेर से विभाजन आदेश पारित करवाया, जो कानूनी दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी एवं रेस्पाडेंट संख्या 2 से 10 के हिस्से दर्ज नहीं होने के बावजूद एवं मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार से काबिज है उसके अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये। अपीलांट एक राजकीय कर्मचारी है, जो अपने कर्तव्य स्थल पर ही मौजूद रहता है, अपीलांट ने कभी भी तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाड़ा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किये। पटवारी हल्का व रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 10 ने आपस में साजिश कर अपीलांट के कर्तव्य स्थल बायतु आकर धोखे से अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये। अपीलांट की रहवासी ढाणी जो उक्त सेटलमेंट से जिस स्थान पर बनी हुई है, मौके पर अपीलांट के रहवासी मकान, झूपे, चीणो के टुकड़े, पानी की टांकली एवं एक पुराना नीम का पेड़ मौजूद है। उक्त रहवासी ढाणी को हल्का पटवारी द्वारा अकेले रेस्पोडेंट संख्या 7 के खाते मे डाल दी गई, जबकि उक्त ढाणी में आज दिन तक अपीलांट का ही कब्जा व रहवास है। रेस्पोडेंट संख्या 7 द्वारा अपीलांट को ढाणी को खाली करने अन्यथा जबरन बेदखल करने की धमकियॉ दी जा रही है। इसप्रकार तहसीलदार बाड़मेर के आदेश दिनांक 17.5.2010 से शुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प मुख्यालय में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 10 तक मय वकील के उपस्थित हुए।

3. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के वकील ने जाहिर किया कि अपीलांट सरकारी कर्मचारी है, जो अपने कर्तव्य पर बायतु रहता है। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 तक ने पटवारी हलका के साथ मिल कर, विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर उसके कर्तव्य स्थल बायतु जाकर धोखे से करवाये गये। अपीलांट ने कभी भी तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर नहीं किये।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट की रहवासी ढाणी जो वक्त सेटलमेंट से जिस स्थान पर बनी हुई थी, को, रेस्पोडेंट संख्या 7 के खाते में दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त ढाणी में आज भी अपीलाट का कब्जा व रहवास है।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 10 ने जाहिर किया कि विभाजन प्रस्ताव अपीलांट व रेस्पोडेंटस के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट की पूर्ण सहमति थी एवं राजकीय कर्मचारी होने के नाते उसकी हल्का पटवारी से पहचान थी इसे मध्यनजर रखते हुए स्वयं हल्का पटवारी के साथ मिलकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये और सबसे पहले अपने हस्ताक्षर किये। विभाजन आपसी सहमति के साथ किया गया था, इसमें तत्समय सभी पक्ष सहमत थे। किसी को भी धोखे में रखकर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। रेस्पाडेंटस संख्या 02 से 10 के वकील ने तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय, अपीलांट स्वयं उपस्थित था। उसकी स्वयं की सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। अपना फोटो लगा कर हस्ताक्षर किये। आपसी सहमति के आधार पर किये गये विभाजन की अपील नहीं की जा सकती अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के फलस्वरूप खारिज की जावें।

5. हमने पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.5.2010 को निरस्त करने हेतु पेश की है। अपीलांट एक सरकारी कर्मचारी है, एक सरकारी कर्मचारी के बिना पढ़े ही विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना अथवा उसके हस्ताक्षर धोखे से करवाये गये है, उसका यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता हैं। चूकि प्रार्थी द्वारा 6 वर्ष पूर्व सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया तथा इस आशय के बंटवाड़े पर हस्ताक्षर भी किए अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज करने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश आज दिनांक 17.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)